

प्रेषिका,

मोनिका ठाकुर,
अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय संख्या-02, मेरठ।
सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा: प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, मेरठ।

विषय: माननीय उच्च न्यायालय के वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मैं अप्रैल 24, 2018 में जनपद मेरठ में अपर जिला जज के पद पर कार्यरत थी तथा वर्तमान में दिनांक 06-11-2019 से अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सं0-2, मेरठ के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे पति श्री राजेश कुमार मणी का नवम्बर 2019 से INSTITUTE OF LIVER & BILIARY SCIENCES दिल्ली में 'लीवर सिरोसिस' का इलाज चल रहा है। नवम्बर 2019 में बड़ा ऑपरेशन भी हुआ था। जिसका ट्रीटमैन्ट अक्टूबर 2019 से अभी भी हो रहा है। उक्त इलाज कम से कम एक वर्ष जारी रहने की संभावना है। I.L.B.S दिल्ली के अतिरिक्त उक्त इलाज की अन्य किसी संस्थान में अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में मेरा अनुरोध है कि मेरा स्थानान्तरण एक वर्ष के लिये मेरठ में ही रोक दिया जाये। अगर किसी विशेष परिस्थिति में स्थानान्तरण अवश्याभावी हो तो दिल्ली के आसपास प्राथमिकता के कम में निम्न स्थानों में हो जाये:-

1- गाजियाबाद

2- गौतमबद्धनगर

3- मुजफरनगर

4- मथुरा

5- मुरादाबाद

6- अमरोहा

I.L.B.S दिल्ली में हो रहे इलाज से सम्बन्धित पर्चा की फोटोप्रतियां संलग्न हैं।

अतः निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के समुख उक्त तथ्यों को संज्ञान में लाते हुये उचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

दिनांक: 19-11-2020

भवदीया

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

Monika Thakur
(मोनिका ठाकुर)

अपर प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय संख्या-02, मेरठ।
आई0डी0 नं0-यू0पी0 6185